

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं010(1)चिस्वा/2/2018/आईडी-2112

जयपुर,दिनांक: 21-12-

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

विषय:- डॉ. जितेन्द्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी को स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने पर पुनः कार्यग्रहण कराने एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि डॉ. जितेन्द्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी को स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के पश्चात पुनः कार्यग्रहण कराने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि अनपस्थिति अवधि के लिए इनके विरुद्ध सीसीए नियम-17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथी से ही कर्त्तव्य पर माना जावेगा इससे पूर्व की अवधि को अनुपस्थिति अवधि माना जावेगा।

डॉ. जितेन्द्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीवाडा जिला- जालौर में रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।


भवदीय,

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव



प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर।
3. डॉ. जितेन्द्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी जरिये निदेशक (जन. स्वा.)
4. निजी/रक्षितपत्रावली।


(ओ.पी. वर्मा)

सहायक शासन सचिव



राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि0अ0/जे-781/2019/ 1437

दिनांक : 11/01/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर /जालौर ।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय अलवर को भेज कर लेख है कि डॉ0 जितेन्द्र कुमार चिकित्सा अधिकारी, (दन्त) के स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के लिए इनके विरुद्ध सीसीए-17 नियमों के तहत आरंभ पत्रादि तैयार कर सात दिवस में निदेशालय में छः प्रतियों में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें जिससे आंग्रेम कार्यवाही की जा सके।
3. सम्बन्धित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलवर/जालौर
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी,सीएचसी थानागार्जी अलवर /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीवाडा जालौर ।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि सम्बन्धित अधिकारी की मेल आईडी पर अपलोड करावें।
6. कार्यालय अधीक्षक एटी/डीपीसी/सीबी सैल, राजपत्रित मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डॉ0 जितेन्द्र कुमार (दन्त) चिकित्सा अधिकारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
8. रक्षित/निजी पत्रावली

अतिरिक्त चिकित्सक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज0जयपुर।